

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं०-6/खा० म० अरवल-02/2016-

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय :- मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-24.11.2016 के मद संख्या-20 में दी गई स्वीकृति के आलोक में अरवल जिलान्तर्गत सोनमद्र-वंशी-सूर्यपुर अंचल के मौजा-बोर विगहा, थाना नं०-247, खाता सं०-64, प्लॉट नं०-329, रकबा-0.50 एकड़ गैरमजरूआ मजकूर परती कदीम भूमि 10,000/- (दस हजार) रू० प्रति डिसमिल की दर से 5,00,000/- (पांच लाख) रू० सलामी एवं सलामी के 2 प्रतिशत का 25 गुणा 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल-7,50,000/- (सात लाख पचास हजार) रू० के भुगतान पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

2. स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

3. अन्य शर्तें खास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगे।

4. इस बन्दोबस्ती से प्राप्त राशि बजट शीर्ष-0029 भू-राजस्व-101-भू राजस्व कर-0001-भूमि राजस्व-75-10 कर मद में जमा होगी जिसका विपत्र कोड-आर०-0029001010001 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(प्रवीण कुमार झा),  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञाप सं०-6/खा० म० अरवल-02/2016-

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

निबधित  
डाक से

प्रतिलिपि:-समाहर्ता, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अभिलेख सं०-03/विविध/2012-13 वापस लौटाया जाता है।

ह०/-

(प्रवीण कुमार झा),  
सरकार के विशेष सचिव।

